फर्द अहकाम
(नियम 26)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर
## रामभरोसी बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा. प्रा. पत्र धारा 136 LRA नं. 81 सन 2025 जीसीएमएस नं. 380

| तारीख हुक्म | हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.08.25 | वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिए रजिस्टर्ड डाक से जारी होवे। पत्रावली दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।<br><br>(राधेश्याम मीणा)<br>उपखण्ड अधिकारी,<br>भुसावर (भरतपुर) | |
| 12.09.25 | आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। उन्हें सुना गया। उन्होंने अवगत कराया कि वाके ग्राम ढोंकरवाड़ा खुर्द की आराजीयात में प्रार्थी का नाम भरोसी पुत्र हीरा व भरोसी पुत्र हीरालाल सहवन गलती से दर्ज हो गया। जबकि मेरे आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि दस्तावेजात में सही नाम राम भरोसी पुत्र हीरा दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।<br>हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभांति अध्ययन किया गया। इसके आधार पर हम नाम शुद्ध किया जाना उचित पाते हैं।<br>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि | |

लगातार---

आ.ख.नं. 228,386,37 वाके ग्राम छौंकरवाडा खुर्द तह. भुसावर में प्रार्थी का गलत नाम भरोसी पुत्र हीरा व भरोसी पुत्र हीरालाल के स्थान पर रामभरोसी पुत्र हीरा दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो. बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राधेश्याम मीना)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०